



Neutral Citation No.- 2026:AHC:56461

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 1878 वर्ष 2026

जय माहौर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : जितेन्द्र कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए., गिरजा शंकर प्रजापति, सुरेश कुमार वर्मा

न्यायालय संख्या 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री गिरजा शंकर प्रजापति और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, ट्रायल के लंबित रहने के दौरान, थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ में बी.एन.एस. की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(2), 316(2) के अंतर्गत पंजीकृत केस अपराध संख्या 686 वर्ष 2025 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोप के अनुसार मुखबिर नीट की अभ्यर्थी थी और आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे ठगा और उसके बेटे की नीट परीक्षा पास कराने के बहाने उससे 44 लाख रुपये से अधिक प्राप्त किए, लेकिन आवेदक के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि मुखबिर के अनुसार भी कुल 49 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन केवल 15 लाख रुपये ही बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए थे और वे पूरे 15 लाख रुपये वापस कर दिए गए हैं।
5. उनका अगला तर्क है कि मुखबिर स्वयं भी एक बेईमान व्यक्ति प्रतीत होती है।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक एक कोचिंग सेंटर का मामूली कर्मचारी है।
7. उनका यह भी कहना है कि आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 04.10.2025 से जेल में है और सभी अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।
8. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
9. वे इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि सभी कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 04.10.2025 से जेल में है।
10. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदक ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर मुखबिर को ठगा और उसके लगभग 49 लाख रुपये हड़प लिए, लेकिन विभिन्न बैंक खातों में जमा किए गए 15 लाख रुपये के अलावा अन्य राशियों के संबंध में कोई सबूत नहीं है और मुखबिर द्वारा स्थानांतरित किए गए पूरे 15 लाख रुपये उसे वापस कर दिए गए हैं।
12. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में दम नजर आता है कि मुखबिर भी एक बेईमान व्यक्ति प्रतीत होती है और उसने अवैध तरीकों से अपने बेटे के लिए नीट परीक्षा में सीट सुरक्षित करने का प्रयास किया।
13. इसके अलावा, सभी कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 04.10.2025 से यानी पिछले पांच महीनों से जेल में है। साथ ही, वर्तमान मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
14. इसके अतिरिक्त, कानून स्थापित है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है और उसके जमानत आवेदन को निवारक या दंडात्मक उद्देश्य से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
15. अतः, ऊपर चर्चित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
16. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**
17. आवेदक - **जय माहौर** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक ट्रायल कोर्ट के समक्ष निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
18. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का ट्रायल के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17 मार्च, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।